

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 1

शासकीय भवनों के विशेष मरम्मत कार्य, जिसकी अनु. लागत रूपये 107.51 लाख है, पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

छत्तीसगढ़ सदन के निर्माण कार्य पर रूपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

लोक निर्माण विभाग के कार्यालयीन भवनों के निर्माण पर रूपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस तथा गेस्ट हाउस के फर्नीसिंग तथा इलेक्ट्रीफिकेशन कार्य (अनु.लागत रूपये 286.00 लाख) हेतु रूपये 100 का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,00,100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

न्याय प्रशासन भवनों के निर्माण पर रूपये 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

उपभोक्ता अदालतों के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार एकीकृत उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरम एवं राज्य उपभोक्ता आयोग के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 194.42 लाख स्वीकृति दी गयी है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,94,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 6

इंजी./तकनीकी महाविद्यालय भवनों के निर्माण कार्य पर रूपये 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 7

डॉ. बी.आर. अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में एकसरे मशीन कक्ष निर्माण पर रूपये 33.41 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 33,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 8

सामान्य प्रशासन विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण पर रूपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4403

मद क्रमांक 9 से 10

केन्द्र प्रवर्तित योजना पशु रोग नियंत्रण के अंतर्गत प्रयोगशाला भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 190.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।